संख्या-24/2015/क0नि0-4-659/11-2015-300(24)/2014

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 08 अप्रैल, 2015

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में वाणिज्य कर अधिकरण के आयोजनेत्तर व्ययों को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशियों को व्यय करने हेतु स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबंधक, वाणिज्य कर अधिकरण के पत्र संख्या-वा0क0अधि0/आय-व्ययक/2015-16/1691/2015, दिनांक 06.04.2015 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-के अन्तर्गत-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि (मतदेय) रू0 19,46,75,000.00 (रू0 उन्नीस करोड़ छियालिस लाख पिचहत्तर हजार मात्र) एवं रू0 2,000.00 (भारित) (रूपये दो हजार मात्र) को संलग्न मदवार विवरण के अनुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) जिन मदों पर व्यय के संबंध में शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उस पर यथा समय शासन की सहमति प्राप्त कर ली जाय।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नई सेवाओं/मदों पर शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
(3) स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का अनुपालन तथा ऊपर प्रस्तर-1 में उल्लिखित वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30.03.2015 के प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

संख्या-24/2015/क0नि0-4-659(1)/11-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाइल/समीक्षा अधिकारी (वजट)।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सं0-क0नि0-4-659/11-2015-300(24)/2014, दिनांक 08 अप्रैल, 2015

का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष- 2015-2016 का आय-व्ययक

अनुदान संख्या-89

लेखाशीर्षक-2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर

800-अन्य व्यय,आयोजनेत्तर

04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान

धनराशि (हजार रूपये में)

मानक मद संख्या व नाम		आय-व्ययक प्राविधान 2015-2016	अवमुक्त की जा रही धनराशि
01- वेतन		80000	80000
03-मंहगाई भत्ता		96000	96000
04-यात्रा व्यय		800	800
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय		1500	1500
06-अन्य भत्ते		10000	10000
07-मानदेय		10	10
08-कार्यालय व्यय		800	800
09-विद्युत देय		300	300
10-जलकर/जलप्रभार		100	100
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई		350	350
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		300	300
13-टेलीफोन पर व्यय		500	500
15-गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल आदि की खरीद		140	140
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		15	15
17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व		1800	1800
42-अन्य व्यय	(मतदेय)	10	10
	(भारित)	2	2
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय		100	100
45-अवकाश यात्रा व्यय		50	50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय		500	500
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		700	700
49-चिकित्सा व्यय		600	600
51-वर्दी व्यय		100	100
कुल योग	**मतदेय**	**194675**	**194675**
	(रूपये उन्नीस करोड़ छियालिस लाख पिचहत्तर हजार मात्र)		
	भारित	2	2
	(रूपये दो हजार मात्र)		

धीरेन्द्र कुमार वर्मा

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in